:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक/ 478 /री0ए0डी0एम0/लो.स.निर्वा./2019 इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2019

:: आ दे श ::

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र0 ECI/PN/23/2019 दिनांक 10/03/2019 द्वारा लोक सभा निर्वाचन-2019 हेतु कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है ।

2/ लोक सभा निर्वाचन-2019 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है । लोक सभा निर्वाचन-2019 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 317/2008/जेएस-11 दिनांक 07 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिये निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :-

1. किसी प्रकार के अनाधिकृत कट-आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा ।
2. निर्वाचन अवधि में नगर निगम द्वारा किसी भी नये स्थान पर होर्डिंग्स एवं विज्ञापन की अनुमति जारी/प्रदाय नहीं की जावेंगी ।
3. निगम द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभीन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभीन्न विज्ञापन एजेन्सियों अथा बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसें मासिक/एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाता है । किन्तु **लोक सभा निर्वाचन-2019 की निर्वाचन अवधि के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निगम से पूर्व अनुमति/अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा ।**
4. विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 50 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार हेतु आरक्षित रखे जावेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति हेतु मुक्त रहेंगे । इन 50 प्रतिशत में से कम से कम 5 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जावेगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा । मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता दी जावेगी । इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जावेगा, कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 25 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पावे । विज्ञापन एजेन्सी अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जावेगी ।
5. नगर निगम द्वारा यह अनुमतियां 02 चरणों में जारी की जावेगी । प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारम्भ होकर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक रहेगा । प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जावेगी ।

District Magistrate
District Indore (M. P.)

नगर निगम द्वारा ऐसे उपलब्ध स्थलों की सूची का विज्ञापन कर, आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे । यदि किसी एक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन हेतु लॉटरी निकालकर आवंटन किया जावेगा ।

7. निगम के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन/चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीदवारों, दलों द्वारा सर्वप्रथम नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेंगा । आवेदन पत्र के साथ प्रचार/विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा/मेटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर निगम द्वारा विहित शर्तो के अधीन अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किया जावेंगा ।

8. निगम की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेंसिया अपनी निर्धारित शर्ते/शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार, दल के हित में, वैध स्थानों पर विहित शर्तो के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेंगा ।

9. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर अपनी अधिकृत विज्ञापन एजेंन्सियों से सलाह उपरान्त विभीन्न स्थानों पर अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिये निर्वाचन अवधि हेतु विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण करेंगे एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त पर किया गया व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सकें ।

10. निगम द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी/राजनैतिक दल से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जावेंगा । पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुमति/अनापत्ति पूर्व से स्वीकृत सूचीबद्ध स्थानों के लिये ही दी जा सकेंगी ।

11. राजनैतिक विज्ञापन हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेंगी ।

12. विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों से उक्तानुसार आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेंगे ।

3/ यह आदेश सम्पूर्ण इन्दौर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में लागू होंगा । नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महू नगर क्षेत्र में केन्टोंमेंट बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तद्नुसार व्यवस्था कर अवगत करावेंगे । नगर पालिक निगम के लिये निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों को विज्ञापन हेतु सशुल्क अनुमतियां दी जा सकेंगी :-

1. स्थानीय निकायों/नगर परिषद/महू केन्टोनमेन्ट बोर्ड द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत उनके क्षेत्र में विभीन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभीन्न विज्ञापन एजेन्सियों अथवा बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है या सीधे निकाय द्वारा प्रदान की जाती है, जिनसें मासिक/एक मुश्त शुल्क सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा लिया जाता है । किन्तु **लोक सभा निर्वाचन–2019 की निर्वाचन अवधि के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये स्थानीय निकाय से पूर्व अनुमति/अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा ।**

District Magistrate
District Indore (M. P.)

विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 50 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार हेतु आरक्षित रखे जावेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति हेतु मुक्त रहेंगे । इन 50 प्रतिशत में से कम से कम 05 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जावेगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा । मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता दी जावेगी । इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जावेगा, कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 25 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पावे । विज्ञापन एजेन्सी अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जावेगी ।

3. स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां 02 चरणों में जारी की जावेगी । प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारम्भ होकर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक रहेगा । प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जावेगी ।

4. स्थानीय निकाय ऐसे उपलब्ध स्थलों की सूची का विज्ञापन कर, आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे । यदि किसी एक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन हेतु लॉटरी निकालकर आवंटन किया जावेगा ।

4/ नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन/सम्पत्ति अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन/प्रचार प्रतिबंधित रहेंगा ।

5/ ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झण्डे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है । इसके लिये आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी को तीन दिवस के अन्दर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करने तथा संलग्न प्रोफार्म में जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

6/ उक्त झण्डें, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जावें जिससे कि विभीन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हों ।

7/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें एवं अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त कर वैध स्थानों पर निशुल्क अनुमति/अनापत्ति जारी करने हेतु ऐसी व्यवस्था नियत करावें जिससे आवेदकों को असुविधा एवं विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हो ।

8/ यह भी सुनिश्यित् किया जावें कि अनुमति दी जाने में किसी **एक व्यक्ति/दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने/विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले ।**

(लोकेश कुमार जाटव)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.
District Magistrate
District Indore (M. P.)